संख्या-04/2018/3243/60-2-17-2/5(235)/01 ए-1

प्रेषक,

मासूम अली सरवर
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उ0प्र0 लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 12 जनवरी, 2018

विषय : भारत सरकार द्वारा "अम्ब्रेला आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अधीन आंगनवाड़ी सेवायें" के अन्तर्गत अनुपूरक पोषाहार की दरें संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1854/बा.वि.परि./योजना-331(V)/2017-18 दिनांक 22.11.2017 एवं संख्या-1979/बा.वि.परि./योजना-331-VI/2017-18 दिनांक 22.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या-CD-1-11/2/2016-cd-1 Dated 06-10-2017 तथा पत्र संख्या-SAG/2/2017 Dated 06-10-2017 द्वारा क्रमशः अम्ब्रेला समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत आगनवाड़ी सेवाओं के अधीन अनुपूरक पोषाहार तथा किशोरी बालिकाओं के लिये योजना के अन्तर्गत अनुपूरक पोषाहार के लिए विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों हेतु प्रतिदिन अनुमन्य दरों को निम्नवत पुनरीक्षित किये जाने तथा राज्य सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त व्ययभार को वहन करने का निर्णय लिया गया हैः-

क्र0 सं0	श्रेणी	वर्तमान अनुमन्य दर (रू0/प्रतिदिन/ प्रति लाभार्थी)	पुनरीक्षित अनुमन्य दर(रू0/प्रतिदिन/ प्रति लाभार्थी)
1	06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे	रू0 6.00	रू0 8.00
2	गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताएं	रू0 7.00	रू0 9.50
3	06 माह से 06 वर्ष तक के अतिकुपोषित बच्चे	रू0 9.00	रू0 12.00
4	किशोरी बालिकाएं (11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली)	रू0 5.00	रू0 9.50

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मासूम अली सरवर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in